नोटिस

न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।

पत्रांकः 2035/ वि0उप0व्य0नि0फो0आ0 / 2020 दिनाँक 07 / 09 / 2020

श्रीमती बचिया देवी पत्नी रामपलट, साकिन–सैदुल्लाहपुर, पोस्ट–बड़ागांव हुसामपुर तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़।.....परिवादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड (तृतीय), आजमगढ़।.....विपक्षी नं0 01

उपखण्ड अधिकारी, निजामाबाद, आजमगढ़। .....विपक्षी नं0 02

परिवादिनी (श्रीमती बचिया देवी पत्नी रामपलट) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा इस फोरम में दिनाँक 24.09.2020 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षीगण (अधिशासी अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड–(तृतीय), आजमगढ़।) को इस संबंध में विधुत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस फोरम में दिनाँक 24.09.2020 को पूर्वांचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनाँक 07.09.2020 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया हैं।

संलग्नकः– परिवाद–पत्र की फोटो कापी

दिनाँकः 07.09.2020

आज्ञा से,

7/9/2020

न्यायालय

विधुत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,

आजमगढ (उ0प्र0)।

EE.E.D.D.III. Aragh

विपक्षी